

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान-जयपुर।

क्रमांक: प.2(6749)/निचिस्वा/विधि/2018/177

दिनांक:- 11/4/2018

संशोधन आदेश

एस0बी0सि0रि0पि संख्या 260/2018 कुसुम कुमारी बनाम सरकार व अन्य प्रकरण में निदेशालय के पत्र क्रमांक प.2(6769) /निचिस्वा /विधि/2018/47 दिनांक 19.01.2018 के द्वारा प्रकरण में पैरवी करने हेतु श्री संजय कुमार शर्मा, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर को नियुक्त किया गया था, के स्थान पर श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर को एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

निदेशक (जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.2(6749)/निचिस्वा/विधि/2018/177

दिनांक:- 11/4/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव (विधि), राजस्थान सरकार को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर को पैरवी हेतु की गई नियुक्ति का अनुमोदन कराने का श्रम करें।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर।
4. केस प्रभारी अधिकारी, उप निदेशक (नर्सिंग प्रथम) मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आप प्रकरण में संबंधित शाखा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर, अविलम्ब श्री श्याम आर्य अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर से संपर्क कर प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.01.2018 के विरुद्ध अनुच्छेद 226(3) का प्रार्थना पत्र दायर कर एवं प्रकरण का माननीय न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर अंतरिम आदेश को अपास्त कराने की कार्यवाही करावे।
5. डॉ0 घनश्याम बैरवा, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) एवं स्टेन्डिंग केस प्रभारी अधिकारी मुख्यालय (राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर)।
6. श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
7. श्री संजय कुमार शर्मा, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड करने एवं संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जयपुर तथा संबंधित अधिकारियों को ई-मेल करने बाबत।
9. सूचना सहायक, विधि अनुभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि वांछित सूचना अविलम्ब लाईट्स/सूची में दर्ज कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान, जयपुर